न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं0 : 07 सन 2018

अनवान :–

1. रामस्वरूप पुत्र मुखराम उर्फ रखाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता स्वीकृत करने हेतु।

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 28.08.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्व गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 335 / 310 के प0न0 379 / 410(39) किला न0 18 / 1 की 0.1900हैक , प0न0 385 / 410(215) के किला न0 4 ता 9 ,12 ता 19 ,22 ता 25 / प्रत्येक 0.253हैक , प0न0 385 / 411 (23) किला न0 2 ता 5 / 0.253हैक , प0न0 378 / 415(289) किला न0 7 ,8 ,13, 14 ,17 कुल 7.0210हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 454 / 441 के प0न0 378 / 413(209) के किला न0 3 ,4 / 0.428हैक मु0न0 370 / 6 के किला न0 0 की 0.076हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.506हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत प0न0 378 / 413(293) के किला न0 4 मे से होकर अपने खेत मे प्रवेश करता है इसी रास्ता से सदामत से आता जाता हे यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे प्रार्थी को नुकसान होता है क्योकि अप्रार्थी कभी भी उक्त रास्ता को बन्द कर सकता है प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 378/413(289) किला न0 4 में उत्तर में दक्षिण की तरफ एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावें प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थी अपने खेत के प0न0 385/410(215) किला न0 7 ,8 में से अप्रार्थी के चिपती हुई जमीन देवे का तेयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने क लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है बदले में भूमि दिलवावे अप्रार्थी का ईकबाल प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनो खातेदार काश्तकार है एवं दुसरे के चिपते हुए खातेदार है प्रार्थी का कथन है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आने के लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 378/413(289) किला न0 4 में उत्तर मे दक्षिण में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है यही रास्ता स्वीकृत फरमावे प्रार्थी के कथनों को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है बदले मे भूमि दिलवाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 378/413(289) किला न0 4 में उतर में दक्षिण की तरफ एक गठठा (0.013हैक) रास्ता स्वीकृत किया जाता है प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 385/410(215) किला न0 7 ,8 में से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपती हुई एक गठठा भूमि देगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। इसी आष्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official